न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सं0 59/2008

रामेश्वर बनाम भगवती।

दिनांक 06.04.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र 97क1 एवं आपत्ति 99ग2 पर सुना गया।

वादी की ओर से संशोधन प्रार्थनापत्र 97क1 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त वाद में वादी सं0 1/5 कृष्ण कुमार की मृत्यु दिनांक 27.10.2014 को हो गयी है। वादी सं0 1/5 कृष्ण कुमार अविवाहित थे। अतः वाद पत्र में मृतक के नाम के सामने मृतक शब्द अंकित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जावे।

प्रतिवादिनी की ओर से आपत्ति 99ग2 दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है। वादी सं0 1/5 के मृत्यु होने के 14 माह बाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु वादी ने कोई भी म्याद अधिनियम का प्रार्थनात्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी सं0 1/5 कृष्ण कुमार की मृत्यु दिनांक 27.10.2014 को हो गयी है। वादी सं0 1/5 अविवाहित थे, उनका कोई वारिशान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधन प्रार्थनापत्र 97क1 स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

संशोधन प्रार्थनापत्र 97क1 स्वीकार किया जाता है। वादी अविलम्ब संशोधन करें। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य वादी दिनांक 16.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,